अनुसूची 14–फारम सं0– 462

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 126)

आदेश पत्रक – ता0..... से ..... तक

जिला..... सं0.....सन् 16.....

केश का प्रकार.....

| आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख 1 | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2 | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित 3 |
|---|---|---|

**न्यायालय उप निदेशक कल्याण कोशी प्रमंडल, सहरसा**

आँगनबाड़ी अपीलवाद सं0– 17/2013

अपीलार्थी – विभा देवी

बनाम

रेस्पोण्डेन्ट – बिहार सरकार व अन्य

**आदेश**

प्रश्नगत अपीलवाद निम्न न्यायालय जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सुपौल के पारित आदेश ज्ञापांक 925 दिनांक 29.6.2013 के विरूद्ध इस न्यायालय में हस्तांतरित होकर दायर किया गया है।

इस अपीलवाद में मामला यह है कि महिला पर्यवेक्षिका श्रीमती नीलम कुमारी किशनपुर द्वारा दिनांक 28.11.2012 को 12:15 बजे किशनपुर परियोजना के केन्द्र सं0– 108 दुर्गा स्थान विनोद यादव के दरवाजे पर स्थित केन्द्र का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय केन्द्र पर 37 बच्चें उपस्थित थे, पूरक पोषाहार में खिचड़ी का वितरण किया जा रहा था , लेकिन केन्द्र की सहायिका श्रीमती विभा देवी दिनांक 23.11.2012 से लेकर 28.11.2012 तक बिना सूचना के केन्द्र से अनुपस्थित थी।

बिना सूचना के केन्द्र से अनुपस्थिति के संबंध मे कार्यालय पत्रांक 1840/प्रो0 दिनांक 31.12.2012 द्वारा विभा देवी से स्पष्टीकरण की माँग की गई, दिनांक 5.01.2013 को सहायिका अपने स्पष्टीकरण के साथ उपस्थित हुई, अपने स्पष्टीकरण में अपने जबाव में उन्होंने बताया कि दिनांक 23.11.2012 को अकस्मात काफी ढ़ंड लग जाने के कारण बीमार हो गई, फलतः परिजन के साथ बेहतर ईलाज हेतु सुपौल चली आई, जहाँ दिनांक 28.11.2012 तक ईलाज व bed Rest हेतु रूकना पड़ा पुनः स्वस्थ

होने पर दिनांक 29.11.2012 से कार्यरत हो गई। सहायिका द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण से असहमति व्यक्त करते हुए जिला प्रोग्राम पदाधिकारी ने कार्यालय पत्रांक 925 दिनांक 29.6.2013 से चयन मुक्ति आदेश निर्गत किए।

इस अपीलवाद की सुनवाई इस न्यायालय में सुनवाई हुई, जिसमें अपीलार्थी के अधिवक्ता एवं सरकारी अधिवक्ता ने अपना –अपना पक्ष एवं कागजात सबूत पेश किए। अपीलार्थी के अधिवक्ता ने बताया कि जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सुपौल का आदेश बिल्कुल ही तथ्यहीन व त्रुटिपूर्ण है। उन्होंने ने सहायिका के द्वारा दिए गए बीमार होने के साक्ष्य को इस अधार पर नकारा है कि आवेदन पत्र के साथ सरकारी अस्पताल का पूर्जा (priscription) संलग्न नहीं है, अतः बीमारी का बहाना है, इस अधार पर चयन मुक्ति आदेश जायज व वैध है।

इस संबंध में अपीलार्थी के अधिवक्ता ने अपना पक्ष रखते हुए बताया कि सहायिका दिनांक 23.11.2012 अचानक काफी ढ़ंड लग जाने के कारण बीमार हो गई, घर पर आने पर उनके परिजन में उसी दिन उन्हें बेहतर ईलाज हेतु सुपौल डॉ0 वी0के0 यादव व चिकित्सा पदाधिकारी सुपौल के निजी किलनिक में ईलाज हेतु भर्ती कराया जहाँ उनके ईलाज में वह दिनांक 28.11. 2012 तक रही पुनः स्वस्थ (ठीक) हो जाने पर दिनांक 29.11.2012 को अपने कार्य पर वापस हो गई। उन्होंने यह भी बताया कि जहाँ तक सरकारी अस्पताल में ईलाज की बात है। उनके परिजन बेहतर ईलाज हेतु उन्हें प्राईवेट चिकित्सक के पास ही ले गए थे, तो इसमें सहायिका की क्या गलती थी? चूँकि जहाँ उनके परिजन की इच्छा जहाँ थी वही ईलाज में ले गए।

अपीलार्थी के अधिवक्ता ने यह भी बताया कि समाज कल्याण (I.C.D.S.) के निर्गत पत्र 207/03/1552 दिनांक 10.05.2010 पारा –9 में वर्णित है कि आँगनबाड़ी सेविका/ सहायिका पर अनुशासिनक कार्रवाई :– आँगनबाड़ी सेविका/ सहायिका द्वारा अपने कर्त्तव्यों के संतोषप्रद निर्वहन नहीं किए जाने, उनके द्वारा 15 (प्रन्दह) दिनों से अधिक अनुपस्थित रहने, आपराधिक घटनाऐं में शामिल होने पर सी0डी0पी0ओ0 जिला स्तरीय निरीक्षी पदाधिकारी उन्हें चयन मुक्ति आदेश साक्ष्य सहित जिला पदाधिकारी को उपलब्ध करायेंगे। किन्तु यहाँ तो मात्र 6 दिन ही अपनी बीमारी के ईलाज हेतु सहायिका अनुपस्थिति रही है, फिर चयन मुक्ति आदेश त्रुटिपूर्ण व गलत है।

उन्होंने यह भी बताया कि केन्द्र का संचालन अति संतोषप्रद था, लाभुक बच्चे निरीक्षण तिथि को भी 37 थे, इसका मतलब साफ है कि सेविका/सहायिका का पूर्व के दिनों में भी केन्द्र संचालन काफी संतोषप्रद रहा होगा, तभी 37 बच्चे उपस्थित थे, डॉक्टर का चिकित्सा प्रमाण पत्र बीमारी का 23.11.2012 से 28.11. 2012 तक संलग्न किया हुआ , जिसमें अंकित है कि पीड़िता सहायिका विभा देवी भंयकर cold exposer से बीमार हो गई है।

उन्होंने केन्द्र की सेविका मंजू देवी द्वारा भी दिया गया बयान कि ढ़ंड लगने के कारण बीमार होने की सूचना सहायिका ने मुझे बताई थी, जिसकी सूचना वरीय पदाधिकारी को भी दी थी , साथ ही सहायिका श्रीमती विभा देवी के द्वारा केन्द्र का संचालन ठीक ढ़ग से किया जाता है। अवलोकन कराया गया।

उपरोक्त सारे विवेचनाओं एवं निष्कषों पर पहुँची कि सहायिका दिनांक 23.11.2012 से 28.11.2012 तक ढ़ंड लगने के कारण बीमार थी, चिकित्सा प्रमाण पत्र को नकारा नहीं जा सकता है, बीमार होने के कारण 6 (छः) दिन अनुपस्थित थी, सेविका द्वारा ही केन्द्र का संचालन उनकी अनुपस्थिति में भी संतोषप्रद ढ़ंग से किया जा रहा था, पोषाहार बनाया गया था, लाभुक बच्चों की सं0— भी 37 थी, इसका यह मयाने निकाला जा सकता है कि केन्द्र का संचालन व सुचारूरूपेण बनाने में दोनों सेविका / सहायिका ने जरूर पहले कड़ी मेहनत व कार्य किए है, तभी लाभुक बच्चे 37 मौजूद थे जो उनके कियाकलाप को अपने खुद बयां करती है स्वाभाविक है जब व्यक्ति बीमार पड़ता है तो बीमारी थोड़ी बताती है कि आप एक दिन में अच्छे होगे या पाँच दिनों में निर्भर करता है, किस कारण से बीमार पड़े है। यहाँ तो मात्र 6 दिन की बात है। अतः निम्न न्यायालय के आदेश जो त्रुटिपूर्ण है जो बीमारी को भी बहाना समझ लेती है, खंडित करती है। अगर थोड़ी देर के लिए बहाना भी माना जाय तो भी अनुपस्थिति तिथि का मानदेय राशि 6 दिनो का ही काटकर उसे सरकारी खजाने में जमा कर ही आदेश निर्गत तिथि से सहायिका के पद पर चयन को बरकरार रखती है। साथ ही सहायिका को निर्देश देती है कि बीमार या अन्य कारणों से केन्द्र पर अनुपस्थित रहने पर तत्काल इसकी सूचना वरीय पदाधिकारी को देकर ही प्रस्थान करें। वाद की समाप्ति की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

21.1.2015

उप निदेशक कल्याण
कोशी प्रमंडल, सहरसा

21.1.2015

उप निदेशक कल्याण
कोशी प्रमंडल, सहरसा